न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

मु0नं0–89 / 2017

उनवान–सरकार बनाम रामनिवास पुत्र श्री सुन्दरलाल वैश्य (रामनिवास जनरल स्टोर हलवाई खारा धौलपुर)

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक – 09.12.2017

आज यह पत्रावली राष्टीय लोक अदालत में पेश हुई। उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री महेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अप्रार्थी श्री रामनिवास पुत्र श्री सुन्दरलाल जाति वैश्य निवासी हाल भावा साहिव का बाडा स्टेशन रोड धौलपुर (रामनिवास जनरल स्टोर हलवाई खाना धौलपुर) के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 12.05.2017 को अप्रार्थी की दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान में स्थित शो केस में रखे 350–350 ग्राम के 25 पैकेट Sugar Boiled Confectionery(Kharbuja Brand) में मिलावट का शक होने पर उसमें से 4 पैकेट वास्ते नमूना जॉच अप्रार्थी से खरीदा गया। अप्रार्थी ने उक्त Sugar Boiled Confectionery(Kharbuja Brand) आम जनता के विकय हेतु बताया गया। उक्त Sugar Boiled Confectionery(Kharbuja Brand) नमूना डी–1325 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की रिपोर्ट दिनांक 26.05.2017 के अनुसार उक्त Sugar Boiled Confectionery(Kharbuja Brand) मिसब्राण्ड होना पाया गया। प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी स्वंय उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी ने नोटिस का जबाव प्रस्तुत कर अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुर्नावृति नहीं करने तथा प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से निस्तारण करने हेतु निवेदन किया।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त Sugar Boiled Confectionery(Kharbuja Brand) मिसब्राण्ड का विकय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंधन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी Sugar Boiled Confectionery(Kharbuja Brand) मिसब्राण्ड बेचने का दोषी है जो धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी श्री रामनिवास पुत्र श्री सुन्दरलाल जाति वैश्य निवासी हाल भावा साहिव का बाडा स्टेशन रोड धौलपुर (रामनिवास जनरल स्टोर हलवाई खाना धौलपुर) पर राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत 2500/–रुपये (दो हजार पॉच सौ रू0) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रैट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरफूल सिंह यादव)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज0)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट